महात्मा गांधी नरेगा अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 1(32)ग्रावि/नरेगा/बजट घो./66656/2013 जयपुर, दिनांक : 01 OCT 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्ग परिसम्पत्ति निर्माण निधि के अन्तर्गत सामग्री मद में अतिरिक्त राशि के आवंटन बाबत।**

संदर्भः **माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत बजट घोषणा 2015–16**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 173 में यह वर्णित है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पक्के और स्थायी प्रकृति के कार्य कराए जाने के उद्देश्य से रू. 50 करोड की राशि का कोष बनाया जायेगा।

इस संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस निधि का उपयोग केवल "सांसद आदर्श ग्राम योजना" एवं "मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना" के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित कराए जाने वाले सामुदायिक परिसम्पतियों के निर्माण कार्यों में सामग्री मद में अनुमत 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक व्यय की पूर्ति हेतु किया जावेगा। "सांसद आदर्श ग्राम योजना" एवं "मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना" के तहत चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत को अधिकतम राशि रू. 20 लाख की उपलब्धता रहेगी एवं यह राशि केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ही उपलब्ध होगी।

इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. "सांसद आदर्श ग्राम योजना" एवं "मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना" के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों के द्वारा सम्पादित कराए जाने वाले पक्के एवं स्थायी प्रकृति के सामुदायिक कार्यों का चयन किया जावे। पक्के एवं स्थायी प्रकृति के जो कार्य वार्षिक कार्य योजना 2015–16 में सम्मिलित है, उन्हें तुरन्त प्रारम्भ कराए जावे तथा जो कार्य वार्षिक कार्य योजना 2015–16 में सम्मिलित नही है, उन कार्यों को शामिल करते हुए पूरक वार्षिक कार्य योजना का अधिनियम के प्रावधानानुसार शीघ्रताशीघ्र अनुमोदन कराया जावे।
2. इस प्रकार के कार्य की एम.आई.एस. एन्ट्री कन्वर्जेन्स के तहत की जायेगी।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय की पूर्ति इस फण्ड से की जायेगी एवं इसका इन्द्राज कन्वर्जेन्स के तहत पृथक से किया जायेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा उक्त व्यय हेतु जिलेवार राशि आवंटन किया जावेगा। जिला स्तर से उपरोक्त निर्देशों के साथ पंचायत समितियों के महात्मा गांधी नरेगा खाते में निधि का हस्तान्तरण कराया जावेगा। पंचायत समिति द्वारा चैक के माध्यम से उक्त व्यय का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया जावेगा एवं कनवर्जेन्स के रूप में एमआईएस पर इसकी प्रविष्टि की

जावेगी। जिले/पंचायत समिति द्वारा उक्त राशि का अलग से हिसाब संधारित किया जाकर मुख्यालय को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किए जाएगे। आपूर्तिकर्ताओं को किए जाने वाले भुगतान में से वांछित कटौति पूर्वानुसार की जाकर संबंधित विभाग को प्रेषित की जावेगी। जिला/पंचायत समिति द्वारा उक्त राशि का समय पर नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

5. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, मुख्यालय को उक्त निधि के पर्यवेक्षण एवं समुचित उपयोग के लिए राज्य नॉडल अधिकारी का दायित्व दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा निधि के समुचित उपयोग हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जावेगी एवं समय–समय पर प्रगति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जावेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय,

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
8. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
11. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

21/3/15